

पांचवी अनुसूची

(राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिये)
(नियम 29 के नीचे टिप्पण 3 देखिये)

भविष्य निधि लेखे में अतिशेष से अंतिम भुगतान के लिये आवेदन का प्रारूप (सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक/निगमित निकायों/अन्य सरकार को अंतरित किए गए शासकीय सेवक/नामांकित व्यक्ति या जहां नामांकन विद्यमान न हो वहां किन्ही अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु)

कार्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)

भाग—एक
(कार्यालय प्रमुख के उपयोग हेतु जांच सूची)

विषय :श्री/ श्रीमती सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक का
सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के लिये प्रारूप (दो प्रतियों में)

भाग दो में, प्ररूप में, कालम संख्या में प्रविष्टियों का संदर्भ :—

- 1 से 10 तक को सत्यापित किया गया है और उन्हें उचित रूप से भरा गया है । मृत्यु प्रमाण पत्र/त्याग—पत्र आदेश संलग्न है ।
- 11.(क) तथा (ख) 6.6.72 से स्वीकृत तथा संदत्त और अस्थायी अग्रिम का उल्लेख किया गया है या सूची संलग्न है ।
- 11.(ग) गृह निर्माण के लिए स्वीकृत अस्थाई अग्रिम, उसकी वसूली और वसूल किया गया ब्याज लेखे के मुख्य शीर्ष कथित हैं जिसके अधीन जमा किये गये ब्याज का लेख किया गया है ।
- 11.(घ) सामान्य भविष्य निधि से वित्तपोषित की गई जीवन बीमा पालिसीयां, पालिसी संख्या, प्रीमियम की रकम, प्रथम प्रीमियम एवं अंतिम प्रीमियम/माह/वर्ष कथित किये गये हैं । (अभिदाता द्वारा प्रीमियम के नगद में भुगतान को पृथक से कथित किया गया है)
12. प्रमाण पत्र संलग्न है ।
13. सामान्य भविष्य निधि में अतिशेष अंतरित करने के लिए डी.पी.एफ. खाते के ब्यौरे (पिछले 31 मार्च तक मासवार कटौती, आहरण तथा ब्याज) संलग्न किए गए हैं ।
14. नामांकन विद्यमान होने की दशा में मूल नामांकन संलग्न है । नाम निर्देशिती, मध्यप्रदेश जनरल प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स, 1955 की परिभाषा के अनुसार कुटुंब का सदस्य है या कुटुंब का सदस्य नहीं है, उचित कालम में कथित किया गया है ।
15. मृतक शासकीय सेवक के कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे, नातेदारी तथा आयु कथित की गई है ।
16. अवयस्क को शोध्य रकम की दशा में, क्षतिपूर्ति बंधपत्र/संरक्षकता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

17. ऐसे मामले में जहां अभिदाता का कोई कुटुंब न हो तथा कोई नामांकन विद्वमान न हो, तब दावेदार के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/विधिक वारिस प्रमाण पत्र संलग्न है ।
18. (दो) यदि भुगतान कोषालय द्वारा चाहा गया हैं तो अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के 3 सेट, अंगुली तथा अंगूठे का निशान, पहिचान चिन्ह एवं अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किए गए है ।
19. अभिदाता द्वारा राज्य सरकार के दूसरे विभाग में या दूसरी सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमि निकाय में नियुक्त किए जाने पर त्याग पत्र की दशा में, नए विभाग/संस्था का भविष्य निधि खाता क्रमांक विभाग/संस्था की सहमति, पदभिमान तथा पता जिस पर बैंक ड्राफ्ट देय हो, आदि व्यौरे संलग्न किए गए है ।

अन्य अपेक्षित दस्तावेज

- (एक) प्रमाणित मूल सामान्य भविष्य निधि की पासबुक
 (दो) अभिदाता के कार्यभार के व्यौरे
 (तीन) सामान्य भविष्य निधि पासबुक उपलब्ध न होने की दशा में उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र के पूर्व के पिछले 12 मास के सामान्य भविष्य निधि के मद में की गई कटौतियों के व्यौरे (में जमा हुए कटौत्रों का विवरण) ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के
 हस्ताक्षर पदभिधान
 (रबर सील लगाई जाए)

भाग – दो

सामान्य भविष्य निधि खाते में अतिशेष के अंतिम भुगतान के लिए प्रारूप
 (कार्यालय प्रमुख के उपयोग के लिए)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–एक, दो, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर/भोपाल को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांकमें की समाप्ति पर लेखा पर्ची के अनुसार रूपये खते में अतिशेष है, अतएव सामान्य भविष्य निधि अतिशेष को पुनर्विलोकित तथा प्राधिकृत किया जाए ।

आवश्यक व्यौरे निम्नलिखित है :-

- 1.अभिदाता का नाम एवं पदाभिधान
- 2.पिता/पति का नाम
- 3.सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक/
- 4.सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/पदच्युति की तारीख
 और नये विभाग में नियुक्ति की तारीख
- 5.आदेश क्रमांक एवं दिनांक

अनुक्रमांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	व्हाउचर क्रमांक एवं तारीख	कोषालय	रकम

6. दावेदार का नाम
7. दावेदार/अभिदाता का पता (भावी पत्रव्यवहार के लिए)
8. सेवा के प्रारंभ होने की तारीख
9. वह मास तथा वर्ष जिसमें सामान्य भविष्य निधि के मद में प्रथम कटौती की गई थी
10. समान्य भविष्य निधि के मद में अंतिम निधि की कटौती
- (एक) मास के लिए वेतन
- (दो) बिल क्रमांक तथा व्हाउचर क्रमांक तारीख सहित
- (तीन) कोषालय का नाम
- (चार) मुख्यशीर्ष जिसमें वेतन आहरण किया गया
- (पांच) सामान्य भविष्य निधि अभिदाय रूपये
- (छ:) अग्रिम की वापिसी रूपये
- (मंजूर किए गए अग्रिम के विरुद्ध) रूपये
- (सात) सामान्य भविष्य निधि जमा किया गया बकाया (यदि कोई हो) रूपये

11.(क) प्रमाणित किया जाता है कि तारीख 6.6.72 से प्रारंभ होने वाली कालावधि से आज तारीख तक के दौरान उसके सामान्य भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित भागिक अंतिम प्रत्याहरण स्वीकृत तथा आहरित किए गए :—

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम अभिदाता को उसकी सेवानिवृत्ति/ मृत्यु/त्यागपत्र की तारीख से ठीक पूर्वर्ती 12 मास के दौरान मंजूर तथा संदत्त किए गए थे ।

क्रमांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	मुख्य शीर्ष	व्हाउचर क्रमांक एवं तारीख	कोषालय	रकम

(ग) प्रमाणित किया जाता है कि अस्थायी अग्रिम रूपये मध्यप्रदेश जनरल प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स, 1955 के नियम 15(5) के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा रकम को विचार में लाए बिना भवन आदि के निर्माण के लिए मंजूर तथा संदत्त किया गया था, अग्रिम तथा ब्याज की वसूली के ब्यौरे निम्न अनुसार है :

मास / वर्ष	मंजूर संदत्त की गयी रकम	तथा वसूल किए गए अग्रिम की रकम	वसूल किए गए ब्याज की रकम	मृत्यु लेखा शीर्ष जिसमें ब्याज की रकम जमा की गई है	टिप्पणी

(घ) प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रत्याहरण उसके सामान्य भविष्य निधि खाते से बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए किए गए थे :—

पालिसी क्रमांक	आहरित रूपये	प्रीमियम	प्रथम मास / वर्ष	प्रीमियम	अंतिम प्रीमियम मास / वर्ष

12. प्रमाणित किया जाता है कि अतिशेष के अंतिम भुगतान के लिए प्रारूप प्रस्तुत करने के पश्चात कोई भी अस्थायी अग्रिम/भागिक अंतिम महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना आहरित नहीं किया जायेगा ।
13. प्रमाणित किया जाता है कि उसका डी.पी.एफ. खाता कार्यालय में बनाये रखा गया है । डी.पी.एफ. खाते में जमा अतिशेष का भुगतान नहीं किया गया है । 31 मार्च तक अनुज्ञात की गई कटौतीयां, प्रत्याहरण तथा ब्याज के ब्यौरे संलग्न हैं ।

नमांकित व्यक्तियों के नाम	अभिदाता के साथ नातेदारी	नमांकित व्यक्तियों का अंश	नमांकित व्यक्ति कुटुंब का सदस्य नहीं है या मृतक के कुटुंब का सदस्य है ।

(मध्यप्रदेश प्राविडेन्ट फण्ड रूल्स, 1955 के नियम 2 (एक) ग के अधीन परिभाषा के अनुसार कुटुंब)

15. मृतक शासकीय सेवक के कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे :—

नाम	अभिदाता के साथ नातेदारी	अभिदाता की मृत्यु की तारीख को आयु

16. किसी अवयस्क बालक, जिसकी माता (अभिदाता की विधवा) हिन्दू नहीं है, को देय रकम के मामले में दावा, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंधपत्र या संरक्षकता प्रमाण—पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए ।
17. यदि अभिदाता को कोई कुटुंब न हो तथा कोई नामांकन विद्यमान न हो तो उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें भविष्य निधि से धन देय है, दावा प्रोवेट पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से समर्पित होना चाहिए ।

दावेदार का नाम	अभिदाता के नातेदारी	पता

18. (एक) कार्यालय के माध्यम से भुगतान चाहा गया है
 (कार्यालय का नाम)
 (दो) कोषालय के माध्यम से(कोषालय का नाम)
19. प्रमाणित किया जाता है कि अभिदाता ने राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित निगमित निकाय के अधीन नियुक्त हेतु शासकीय सेवा से त्याग—पत्र दिया है/त्यागपत्र नहीं दिया है । अन्य विभाग/संस्था में नियुक्त हेतु त्याग—पत्र की दशा में, जैसा की उपर उल्लिखित है सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा अतिशेष, ऐसे नये भविष्य निधि खाते में, अंतरित किया जायेगा, जो उसे विभाग/संस्था की सहमति से आवंटित किया गया हो ।

अतएव नये विभाग/संस्था की सहमति तथा आवंटित नया खाता क्रमांक संलग्न है

|

तारीख :

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

पदभिधान (रबर मोहर लगा दी जाय)

टिप्पणः आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अनुदेश :—

- 1) अभिदाता के आवेदन को अंतिम निधि की कटौती के तुरंत पश्चात महालेखाकार, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर को अग्रेषित किए जाने के प्रयास किए जाएं जिससे कि सेवानिवृत्ति की तारीख को भुगतान किए जाने की व्यवस्था हेतु पर्याप्त कालावधि मिल सके । विलम्ब होने की दशा में प्रत्येक मामले में औचित्य समर्थन अपेक्षित है ।

- 2) ओवदन के साथ मूल सामान्य भविष्य निधि पासबुक प्रमाण—पत्र संलग्न होना चाहिए।
- 3) दिसम्बर, 1997 में (कोषालय के माध्यम से) भेजे गये पदधारिता के ब्यौरे भी कृपया संलग्न किए जाए।
- 4) सेवानिवृत्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मामले में उसके अंतिम भुगतान का आवेदन महालेखाकार, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर को अगले उच्चतर प्राधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए।